

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री /टीए/5853/2011/सवाईमाधोपुर

रामनाथ पुत्र नेनू जाति बेरवा निवासी बोरदा की ढाणी हमीरपुरा तहसील मित्रपुरा जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलांट

बनाम

- 1- कल्याण पुत्र मांगीलाल के कायम मुकाम:-
 - 1/1 जगदीश पुत्र कल्याण
 - 1/2 संतू देवी पुत्री कल्याण
- 2- कजोड पुत्र नाथूलाल:-
 - 2/1 रामलाल पुत्र नाथूलाल
 - 2/2 प्रभु पुत्र नाथूलाल
 - 2/3 प्रहलाद पुत्र नाथूलाल
 - 2/4 कमला पुत्री नाथूलाल
 - 2/5 लल्लू पुत्र नाथू मृतक के कायम मुकाम:-
 - 2/5/1 लक्ष्मी देवी पत्नी स्व० लल्लू
 - 2/5/2 नरेश पुत्र स्व लल्लू
 - 2/5/3 कविता पुत्री स्व लल्लू
 - 2/5/4 अंजली पुत्री स्व० लल्लू
- 3- जगन्नाथ पुत्र छोटू के कायम मुकाम
 - 3/1 श्रीमती घीसी पत्नी स्व० जगन्नाथ
 - 3/2 शंकरलाल पुत्र स्व० जगन्नाथ
 - 3/3 मोतीलाल पुत्र स्व० जगन्नाथ
 - 3/4 मणिशंकर पुत्र स्व० जगन्नाथ
 - 3/5 रूकमा पुत्री स्व० जगन्नाथ
 - 3/6 गुलाब पुत्री स्व० जगन्नाथ
 - 3/7 राजूलाल पुत्र स्व० जगन्नाथ (मृतक जरिये विधिक वारिसान):-
 - 3/7/1 संतरा पत्नी स्व० राजूलाल
 - 3/7/2 मंजीत पुत्र स्व० राजूलाल
 - 3/7/3 अक्षत पुत्र स्व० राजूलाल
 - 3/7/4 नीतू पुत्री स्व० राजूलाल
 - 3/7/5 ज्योति पुत्री स्व० राजूलाल
 - 3/7/6 मुस्काल पुत्री स्व० राजूलाल
 - 3/7/7 कृष्णा पुत्री स्व० राजूलाल
- 4- गणेश पुत्र बलदेव के कायम मुकाम
 - 4/1 जगदीश पुत्र स्व० गणेश
 - 4/2 रामकरण पुत्र स्व० गणेश
 - 4/3 सोहनलाल पुत्र स्व० गणेश
 - 4/4 चिरंजीलाल पुत्र स्व० गणेश

अपील डिक्री /टीए/5853/2011/सवाईमाधोपुर

- 4/5 प्रभाती पुत्री स्व० गणेश
 4/6 गोपीलाल पुत्र स्व० गणेश (मृतक जरिये विधिक वारिसान):-
 4/6/1 शांति पत्नी स्व० गोपीलाल
 4/6/2 जितेन्द्र पुत्र स्व० गोपीलाल
 4/6/3 ओमप्रकाश पुत्र स्व० गोपीलाल
 4/6/4 बाबूलाल पुत्र स्व० गोपीलाल
- 5- नन्दराम पुत्र गौरु
 6- गोकुल पुत्र गौरु
 7- भोरीलाल पुत्र गौरु मृतक के कायम मुकाम:-
 7/1 रामजीलाल पुत्र स्व० भोरी लाल
 7/2 सोनल पुत्र स्व० भोरी लाल
 7/3 गीता पुत्री स्व० भोरी लाल
- समस्त जाति बैरवा निवासीगण बोरदा ढाणी हमीरपुरा तहसील मित्रपुरा जिला सवाईमाधोपुर। हल्का पटवारी बोरदा तहसील मित्रपुरा जिला सवाईमाधोपुर।
- 8- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मित्रपुरा जिला सवाईमाधोपुर।

रेस्पोंडेण्ट्स.....

खण्ड पीठ

डॉ० शिव प्रसाद सिंह, सदस्य
 डॉ० महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थित:-

श्री सुनील पारीक, श्री वी०पी० सिंह अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से।
 श्री रमजान मोहम्मद, श्री वैभव पारीक, श्री अजीत सिंह राठौड़,
 श्री धर्मेन्द्र सिंह टांक, अधिवक्तागण रेस्पों की ओर से।

निर्णय

दिनांक:-16.07.2026

- 1- यह अपील मण्डल के समक्ष धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा अपील संख्या 47/2010 में पारित निर्णय दिनांक 08-08-2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
- 2- विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

- 3- विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपने कथनों के समर्थन में अभिकथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलाण्ट के पिता नेनू द्वारा तकासमा रिपोर्ट दिनांक 17-02-2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी आपत्तियों को स्वीकार कर आपत्तियों के आधार पर तहसीलदार, बौली को तकासमा रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था। तहसीलदार, बौली ने अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना व बिना मौके पर गये ही बालाबाला मौका तकासमा दर्शाते हुए पुनः दिनांक 17-02-2005 की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। तहसीलदार, बौली द्वारा दिनांक 17-02-2005 की तकासमा रिपोर्ट अपीलाण्ट के आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के पश्चात् स्वमेव अवैध सिद्ध हो चुकी थी। अपीलाण्ट की आपत्तियों को स्वीकार करने के पश्चात् आपत्तियों के विपरीत दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने तहसीलदार, बौली की अवैधानिक मौका तकासमा के आधार पर ही निर्णय पारित कर दिये। न्यायालय उप जिला कलक्टर, बौली व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा तहसीलदार बौली को मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति सुनिश्चित कर मौका कब्जा अनुसार व राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के अनुसार तकासमा किया जाकर प्रस्तुत करने की हिदायत दी गयी थी। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सावाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 11-04-2000 के अनुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नक्शा फोटो प्रति जिसमें 1/6 हिस्से को 4 टुकड़ों में दर्शाया गया व मौके पर यह सही हैं तो तदनुसार डिक्री इजराय अन्य पक्षकारान के मौके कब्जे को ध्यान में रखते हुए कम से कम डिस्टर्ब करते हुए तदनुसार तकासमा किये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये थे लेकिन तकासमा रिपोर्ट तैयार करते समय न तो मौका कब्जा की सुनिश्चितता को ध्यान में रखा गया, न राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 को ध्यान में रखा गया तथा ना ही राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 11-04-2000 में दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखा गया। गिरदावर हल्का ने जो नक्शा मौका तैयार किया है वह भी मौके पर जाकर नहीं बनाया गया है तथा ना ही सभी पक्षकारों को नक्शा बनाते समय उपस्थित होने की सूचना दी। इससे स्पष्ट है कि हल्का गिरदावर द्वारा बनाया गया नक्शा मौके की स्थिति से पूर्णतया विपरीत है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी आपत्तियों में स्पष्ट कथन किया था कि तकासमा रिपोर्ट तहसीलदार, बौली द्वारा नहीं बनायी गयी है। गिरदावर

द्वारा बनायी गयी है। डिक्रीदार अपीलाण्ट के कब्जे को कोई महत्व नहीं दिया गया है। अपीलाण्ट के कब्जे से बाहर जाकर जमीन हिस्से में दर्शायी गयी है जो कि गलत है। तकासमा रिपोर्ट मौके पर तैयार नहीं की गयी है। तकासमा रिपोर्ट में आराजी खसरा संख्या 699, 701 व 702 अपीलाण्ट के हिस्से में दिया जाना बताया है, जबकि इस पर अपीलाण्ट का कब्जा नहीं है। इस पर कजोड वगैरा का कब्जा है। आराजी खसरा संख्या 717 में 5 बीघा 1 बिस्वा पर अपीलाण्ट का कब्जा है जो न्यायालय द्वारा कुर्की में चल रहा है। आराजी खसरा संख्या 730, 731, 732 में अपीलाण्ट के हिस्से में 2 बीघा भूमि बतायी गयी है। खसरा संख्या 730, 731 व 732 पर कब्जा है। खसरा संख्या 732 में सडक के पास 17 बिस्वा भूमि कम बतायी गयी है। खसरा संख्या 735 का 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि अपीलाण्ट के हिस्से में बतायी गयी है, जबकि खसरा नम्बर 735 में 1 बीघा पर अपीलाण्ट का कब्जा है। आराजी खसरा संख्या 751 में अपीलाण्ट को 17 बिस्वा भूमि दी गयी है, जबकि 1 बिस्वा 5 बिस्वा पर अपीलाण्ट का कब्जा है। खसरा संख्या 752 में 1 बीघा पर अपीलाण्ट का कब्जा है। विभाजन प्रस्ताव में 21 बीघा 19 बिस्वा भूमि दी गयी है। प्रस्तावित विभाजन में 11 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर ही हक व अधिकार हैं शेष भूमि मेरे कब्जेवाली और सहहिस्सेदारों की दिखायी गयी है। आराजी खसरा संख्या 718 में अपीलाण्ट का कब्जा नहीं बताया गया है, जबकि मौके पर खसरा संख्या 717, 718 एवं साथ मौजूद हैं जिसमें 718 का 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि पूरी अपीलाण्ट के पास है। आराजी खसरा संख्या 717, 718 व 719 एक चक में हैं कोई मेड नहीं है। आराजी खसरा संख्या 719 में 2 बीघा भूमि का डेढ बीघा किसने बनाया हैं एक उपर ओर साइड में लगाकर 2 को डेढ बनाया गया है। डेढ बीघा भूमि अपीलाण्ट के पास मौजूद है। आराजी खसरा संख्या 734 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा तथा खसरा संख्या 732 में रोड के पास 2 बीघा 6 बिस्वा है जिसमें 17 बिस्वा कम है, 17 बिस्वा पर अपीलाण्ट का कब्जा रोड के किनारे है। आराजी खसरा संख्या 733 में 2 बिस्वा पर अपीलाण्ट का कब्जा है। अपीलाण्ट के पास 10 बीघा 14 बिस्वा भूमि ऐसी है जो तकासमा रिपोर्ट में नहीं दिखायी गयी है, जबकि उस पर अपीलाण्ट का कब्जा चला आ रहा है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने यही निर्देश दिये थे कि अपीलाण्ट के कब्जे को कम से

कम डिस्टर्ब करते हुए विभाजन किया जावे। अन्त में अपीलाण्ट के कब्जे के आधार पर हिस्से में 22 बीघा 5 बिस्वा भूमि का खाता पृथक किये जाने का निवेदन किया। न्यायालय उप जिला कलक्टर ने अपीलाण्ट की आपत्तियों को स्वीकार कर लिया था। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने भी अपने निर्णय में अपीलाण्ट की आपत्तियों को स्वीकार किया जाना स्वीकार किया है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रतिवादीगण ने न्यायालय सहायक कलक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष निर्णय दिनांक 14-06-1982 में पत्रावली में शामिल ई0एक्स 5 के अनुसार अपीलाण्ट के कब्जे को स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट के कब्जे को नजरअंदाज कर विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर एवं न्यायालय उप जिला कलक्टर, बौली द्वारा पारित निर्णय क्रमशः दिनांक 08-08-2011 व 05-05-2010 को निरस्त फरमया जाकर पक्षकारान के कब्जे हिस्से अनुसार तकासमा किये जाने के आदेश दिये जाने का कथन किया। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में 2017 आरआरटी (1) पेज 689 एल0बी0, 2017 आरआरटी (1) पेज 347 डी0बी0, 2003 आरआरटी (2) एस0सी0 पेज 881, 1990 आरआरडी पेज 342 पैरा 11 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

- 4- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि आराजीयात/काशत की जमीन अपीलाण्ट के पिता नैनू एवं 5 अन्य गोरू एवं गणेश पुत्र बल्देव, मांगीलाल एवं छोटू पुत्र ग्यारसा एवं नाथू पुत्र धन्ना, जाति बैरवा निवासी बौरदा तहसील बौली (अब मित्रपुरा) सवाई माधोपुर द्वारा सन् 1956 में सभी 6 हिस्सेदारों ने संयुक्त रूप से मिलकर खरीदी थी तथा प्रत्येक 1/6 के हिस्सेदार हैं। इस जमीन का सभी साझेदारों द्वारा खरीद के समय ही मौके पर आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया गया था तथा उक्त साझेदार अपने-अपने हिस्से में काशत करते आ रहे हैं किन्तु इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नहीं करवाया गया था। अपीलाण्ट के पिता नैनू की ओर से दिनांक 07-04-1979 को अपने हिस्से कब्जे की जमीन को अलग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु उप जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के यहां वाद दायर किया था जिसकी दिनांक 14-06-1982 को वाद

संख्या 91/82 के तहत अपीलाण्ट के पक्ष में डिक्री जारी कर दी गयी। उक्त डिक्री जारी होने के बाद लगभग दस साल तक अपीलाण्ट द्वारा इस डिक्री में वर्णित उसके हिस्से की जमीन का राजस्व रिकार्ड में इंड्राज नहीं करवाया जो उसके मन में खोट या बदनियती थी। दिनांक 14-06-1992 में अपीलाण्ट द्वारा डिक्री के नक्शे से अलग फर्जीवाडा करके अलग जमीन को अपने कब्जे में बताते हुए न्यायालय उप जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के यहां इजराय आवेदन किया जिसे डिक्री के नक्शे से अलग नक्शा कब्जा बताने के कारण इजराय आवेदन दिनांक 10-02-1999 को खारिज कर दिया गया। अपीलाण्ट द्वारा इसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष की गयी जिसमें अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए केस रिमाण्ड करते हुए दिनांक 11-04-2000 को आदेश दिया कि मामला इस स्थिति में तहसीलदार बौली को भेजा जाना आवश्यक है तथा यदि अपीलाण्ट का मौका कब्जा उसके बताये अनुसार सही है तो अनावश्यक डिस्टर्ब नहीं किया जाये तथा अन्य सभी पक्षकारों के हिस्से/कब्जे अनुसार किरम भूमि को ध्यान में रखते हुए सभी हिस्सेदारों की कब्जे की जमीन का कब्जा मौका स्कीम बनाकर कम से कम डिस्टर्ब करते हुए मौका कब्जा स्कीम बनाकर प्रस्तुत की जाये। उक्त आदेश की अनुपालना में तहसीलदार बौली द्वारा मौके पर जाकर सभी कब्जे/हिस्सेदारों की जमीन का मौका स्कीम बनाकर दिनांक 17-02-2005 को उप जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर को प्रस्तुत किया। इस पर भी अपीलाण्ट द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत की जिनका समाधान करते हुए इस मौका नक्शा स्कीम को दिनांक 05-05-2010 को स्वीकृत कर तहसीलदार बौली को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु आदेश जारी किये गये। अपीलाण्ट द्वारा पुनः इसकी अपील अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष की गयी जिसको अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील को सारहीन मानते हुए दिनांक 08-08-2011 को अपील खारिज कर दी गयी जिसकी अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में अपील पेश की गयी। इस प्रकरण में अन्य पांच पक्षों को कोई आपत्ति नहीं है। केवल अपीलाण्ट बार-बार अपील कर प्रकरण को लम्बा खींचना चाहता है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गयी अपील पूर्ण रूप से भ्रमित करने वाली है जो तथ्यहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज

किये जाने योग्य हे। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

- 5- पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष द्वारा की गयी बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। अपीलाण्ट के पिता मृतक नैनू ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सवाईमाधोपुर के समक्ष एक वाद बाबत् विभाजन आराजीयात का राज० काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत दिनांक 07-04-1979 को वाके ग्राम बोरदा तहसील बौली में स्थित प्रश्नगत आराजी में अपना 1/6 हिस्सा होना कथन करते हुए वादी एवं प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 के मध्य बराबर-बराबर हिस्से में विभाजन किये जाने बाबत् निवेदन किया। प्रतिवादीगण ने दिनांक 04-07-1979 को जवाबदावा पेश किया। परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 16-08-1979 को दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कुल 05 तनकीयात कायम की। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14-06-1982 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारंभिक डिक्री पारित की। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 14-06-1982 से व्यथित होकर रेस्पो० क्रम 03 जगन्नाथ व नारायण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष प्रथम अपील संख्या 108/84 प्रस्तुत की। प्रथम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 26-06-1984 के द्वारा उक्त अपील को नो इंस्ट्रक्शन प्लीड के आधार पर खारिज कर दिया। तत्पश्चात् रेस्पो० क्रम 01 कल्याण व अन्य द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 14-06-1982 के विरुद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गयी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर ने उक्त अपील को गंभीर रूप से अवधि बाधित होना मानते हुए निर्णय दिनांक 25-06-1996 के द्वारा खारिज कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25-06-1996 से पूर्व अपीलाण्ट के पिता मृतक नैनू ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत् इजराय दिनांक 14-10-1992

को परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 14-06-1982 में पारित डिक्री की इजराय करवाये जाने बाबत् पेश किया। परीक्षण न्यायालय ने उक्त इजराय प्रार्थना पत्र का निर्णय दिनांक 10-02-1999 को पारित करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10-02-1999 से व्यथित होकर अपीलाण्ट के पिता मृतक नैनू ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 11-04-2000 के द्वारा अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10-02-1999 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि “अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नक्शा फोटो प्रति जिसमें उसके 1/4 हिस्से को चार टुकड़ों में दर्शाया गया है मौके पर यह सही है तो तदनुसार डिक्री इजराय अन्य पक्षकारान के मौके कब्जे को ध्यान में रखते हुए कम से कम डिस्टर्ब करते हुए तदनुसार जारी की जावे। तहसीलदार को पालना हेतु कैफियत जारी हो। ” अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11-04-2000 की पालना में परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण को दिनांक 06-05-2000 को पुनः दर्ज रजिस्टर कर अपने निर्णय दिनांक 05-05-2010 के द्वारा तहसीलदार बौली के पत्रांक दिनांक 323 दिनांक 17-02-2005 से प्राप्त तकासमा स्कीम व नक्शा विधिवत् सही होना मानते हुए इजराय बंटवारा की पालना हेतु तहसीलदार बौली को बंटवारा स्कीम मय संलग्न नक्शा प्रेषित कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पक्षकारान को कब्जा देने बाबत् निर्णय पारित किया गया। परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बौली जिला सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05-05-2010 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 225 राज० काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 08-08-2011 के द्वारा अपील अपीलाण्ट खारिज कर दी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील

प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08-08-2011 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने मण्डल न्यायालय के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की है। प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 14-06-1982 को निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित की थी। परीक्षण न्यायालय को प्रारंभिक डिक्री के पश्चात् पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित किये जाने बाबत् कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की जानी चाहिए थी परंतु प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाण्ट के पिता मृतक नैनू द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14-10-1992 को प्रारंभिक डिक्री की इजराय बाबत् प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया था जिसपर परीक्षण न्यायालय ने उक्त इजराय प्रार्थना पत्र को अपने निर्णय दिनांक 10-02-1999 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त आदेश की प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष पेश की गयी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11-04-2000 के द्वारा विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखे बिना प्रकरण को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि “अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नक्शा फोटो प्रति जिसमें उसके 1/4 हिस्से को चार टुकड़ों में दर्शाया गया है मौके पर यह सही है तो तदनुसार डिक्री इजराय अन्य पक्षकारान के मौके कब्जे को ध्यान में रखते हुए कम से कम डिस्टर्ब करते हुए तदनुसार जारी की जावे। तहसीलदार को पालना हेतु कैफियत जारी हो।” अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखे बिना उक्त आदेश पारित किया था, क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाण्ट ने प्रारंभिक डिक्री की इजराय हेतु इजराय प्रार्थना पत्र परीक्षण न्यायालय के समक्ष पेश किया था। उक्त इजराय के प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय के विरुद्ध अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गयी थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक डिक्री के विरुद्ध इजराय नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रारंभिक डिक्री में पक्षकारान के केवल हिस्से तय होते हैं, हिस्से तय होने के आधार पर विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट/तकासमा रिपोर्ट प्राप्त कर एवं उन पर पक्षकारान के आपत्ति प्राप्त कर विभाजन की अंतिम

डिक्री पारित की जानी होती है। प्रारंभिक डिक्री की इजराय किये जाने का विधिक प्रावधान नहीं है। इस सम्बंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस0बी0 सिविल फर्स्ट अपील संख्या 584/2025 दिनांक 29-10-2025 में यह अभिमत दिया है कि:-

“A preliminary decree in a partition suit is not executable unless the property is divided by metes and bounds and specific shares are allotted through a final decree”

इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 5721/2006 दिनांक 12-12-2006 में यह अभिमत दिया है कि:-

“Preliminary decree declares the rights and liabilities of the parties. However, in a given case a decree may be both preliminary and final. A decree may be partly preliminary and partly final. A final decree proceeding may be initiated at any point of time. No limitation is provided therefore. However, what can be executed is a final decree and not a preliminary decree unless and until final decree is a part of the preliminary decree.”

अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्तानुसार विधिक प्रावधान का ध्यान रखे बिना प्रकरण को परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित किया था। परीक्षण न्यायालय ने प्रथम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11-04-2000 की पालना करते हुए अपने निर्णय दिनांक 05-05-2010 के द्वारा इजराय किये जाने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश भी विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-05-2010 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की है जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 08-08-2011 के द्वारा खारिज किया है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी विधिक प्रावधानों को

दृष्टिगत रखे बिना आदेश पारित किया है उक्त आदेश भी त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है, क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 14-06-1982 की इजराय बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं इजराय पर पारित निर्णय के विरुद्ध अपीलें पेश की गयी हैं, जबकि विधिक प्रावधानों के तहत प्रारंभिक डिक्री की इजराय नहीं होती है। इसके अलावा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत की गयी अपील में पारित निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 224 के तहत पेश की गयी है, जबकि विधिक प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत अपील में डिक्री रहित आदेश पारित किया जाता है जिसकी धारा 224 में अपील पोषणीय नहीं है। परंतु प्रस्तुत प्रकरण में इस स्तर पर इस सम्बंध हम उपर्युक्त तथ्य/बिन्दु पर ज्यादा विवेचन/विश्लेषण किया जाना अपेक्षित नहीं समझते हैं, क्योंकि मण्डल के समक्ष प्रस्तुत अपील सन् 2011 से लम्बित है, जिसका हम उपर स्पष्ट रूप से विवेचन/विश्लेषण कर चुके हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाण्ट ने मण्डल के समक्ष प्रस्तुत अपील में मुख्य रूप से अनुतोष चाहा है कि परीक्षण न्यायालय ने विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है। प्रस्तुत प्रकरण में हम इस स्तर पर विभाजन नियम 18 से 21 की पालना बाबत् विवेचन/विश्लेषण किया जाना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण प्रारंभिक डिक्री की इजराय से सम्बंधित है और प्रारंभिक डिक्री में पक्षकारान के केवल हिस्से तय होते हैं, प्रारंभिक डिक्री की इजराय नहीं होती है। उपर्युक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य परिलक्षित होती है। इसी प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 14-06-1982 के पश्चात् उक्त डिक्री की इजराय से सम्बंधित समस्त निर्णय एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित समस्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य परिलक्षित होते हैं। पक्षकारान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 14-06-1982 की पालना में अंतिम डिक्री पारित किये जाने हेतु परीक्षण न्यायालय के समक्ष चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है।

- 6- परिणामतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10-02-1999 व निर्णय दिनांक 05-05-2010 एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11-04-2000 एवं निर्णय दिनांक 08-08-2011 निरस्त किये जाते हैं। पक्षकारान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 14-06-1982 की पालना में अंतिम डिक्री पारित किये जाने हेतु परीक्षण न्यायालय के समक्ष चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० महेन्द्र लोढा)
सदस्य

(डॉ० शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य